भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1160
जिसका उत्तर बुधवार 26 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु कदम

1160. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूजीगत माल क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारी उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए आई.आई.टी. जैसे अग्रणी तकनीकी संस्थानों के साथ कोई सहयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की एक स्कीम वर्ष 2014 से प्रचालन में है। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी विकास, एकीकृत औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधा, साझा इंजीनियरिंग केन्द्र और परीक्षण एवं प्रमाणन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना के लिए अवसंरचनात्मक घटक हैं। इस स्कीम में कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति अथवा अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति निधि कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय हस्तक्षेप के लिए भी प्रावधान हैं। इस स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत अभी तक 14 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जो उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस स्कीम का ब्यौरा भारी उद्योग की वेबसाइट dhi.nic.in. पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त स्कीम के अलावा, सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य उत्पादन में बढ़ोतरी करके, निर्यात स्तर को बढ़ाकर तथा प्रौद्योगिकी गहनता में सुधार करके भारत को एक शीर्ष कैपिटल गुड्स उत्पादक और कैपिटल गुड्स का एक निवल निर्यातक

देश बनाना है। इस नीति की प्रति भारी उद्योग की वेबसाइट dhi.nic.in. पर उपलब्ध है। इस नीति में प्रौद्योगिकी, कौशल, साझा इंजीनियरिंग सुविधाओं तथा निर्यात संवर्धन के मामले में एमएसएमई सहित सभी यूनिटों की सहायता करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग): कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के सहयोग से कर्नाटक में तुमकुर के समीप वसंथनरसपुरा में वैश्विक स्तर का एक एकीकृत मशीन टूल पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में मशीन टूल्स में विनिर्माण श्रृंखला के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है, इससे मशीन टूल्स विनिर्माताओं को कच्चे माल और कलपुर्जे आपूर्ति करने वाली एमएसएमई को लाभ होगा। सरकार वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग के लिए बारदौली, सूरत, गुजरात और डाइज एवं मोल्ड्स उद्योग के लिए महाराष्ट्र में पुणे के समीप चाकन में उत्कृष्टता एवं प्रशिक्षण केन्द्र में साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्रों की सहायता कर रही है। प्रमुख लाभार्थी विनिर्माण इंजीनियरिंग में लगे वे एमएसएमई हैं जो क्रमशः सूरत और पुणे औद्योगिक समूहों के आसपास स्थित हैं। इसके अलावा, इसमें भारी उद्योग विभाग द्वारा सुविधा प्रदत्त विभिन्न उत्कृष्टता/प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति केन्द्रों में प्रौद्योगिकी विकास सामान्य तौर पर प्रौद्योगिकी विकास/अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाएगा। अधिकांश भागीदार उद्योग/लाभार्थी एमएसएमई हैं।

(घ) और (ङ): इस स्कीम के उत्कृष्टता केंद्र घटक के अंतर्गत उद्योग भागीदारों के साथ राष्ट्रीय ख्याति के कई प्रौद्योगिकीय संस्थानों/अनुसंधान विकास केन्द्रों में प्रौद्योगिकी विकास किया जा रहा है। इस स्कीम के अंर्तगत विभाग द्वारा वित्त-पोषित उत्कृष्टता केन्द्रों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलौर में हाइ-टेक शटल रहित करघों का विकास।
(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (चेन्नई) में 11 मशीन टूल प्रौद्योगिकियों का विकास।
(3) पीएसजी प्रौद्योगिकी कॉलेज, कोयम्बटूर में 3 वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों का विकास।
(4) सि'टार्क कोयम्बटूर में स्मार्ट सबमर्सिबल पम्प का विकास।

******